न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/33/2024 रजू दिनांकः 12.03.2024 रजि0 न0 2024/61

अपीलार्थीः–
श्री घनश्याम ठाकुरिया एडवोकट, निवासी 192, स्कीम नं0 8, गांधी नगर अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 09.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 26.03.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/476 दिनांक 26.03.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 31.10.2023 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय द्वारा जरिये ऑनलाईन पत्र सं0 5889047099 दिनांक 08.02.2024 के माध्यम से किए गए विनिश्चय पर असंतोष व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में आवेदन सं0 293346147683598 दिनांक 31.10.2023 के संबंध में अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय किया जाकर ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 5889047099 दिनांक 08.02.2024 के माध्यम से अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना से संसूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय किया जाना अवगत कराया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर अवगत कराया है कि पत्रांक 6078 दिनांक 26.10.2021 में वर्णनानुसार पूर्व में प्रेषित किसी भी पत्राचार की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। मात्र पत्र दिनांक 26.10.21 की प्रति उपलब्ध कराई गई है। जवाब प्रत्यर्थी और अवलोकन पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अधूरी सूचना उपलब्ध कराई गई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.21 पर की गई कार्यवाही की मय संलग्नक समस्त सूचना, गर सूचना देयता की श्रैणी में आती हो तो सम्पूर्ण वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)